न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 01/2019 दायरा दिनांक 11.06.2019

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

यकीनउद्दीन पुत्र वहाबउद्दीन जाति मुसलमान निवासी नूर मंजिल छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला, कोटा–राजस्थान –अपीलाण्ट

बनाम

1. जमील पुत्र फयाजउद्दीन जाति मुसलमान निवासी कुण्डी तहसील किशनगंज जिला–बारां राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारा – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री राधाबल्लभ नागर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 8-3-2022

अपील विरूद्ध निर्णय इन्तकाल नम्बर 1124 दिनांक 09.05.2016 ग्राम कुण्डी पटवार हल्का ख्यावदा तहसील किशनगंज निरस्त करने बाबत्।

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.05.2016 ग्राम कुण्डी को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम कुण्डी पटवार हल्का ख्यावदा तहसील किशनगंज के माल में आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 22.09 बीघा अवस्थित हैं। उक्त आराजी बाबत् तस्दीक किये गये इन्तकाल नम्बर 1124 दिनांक 09.05.2016 को अपील में आगे विवादित इन्तकाल के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी बाबत् न्यायालय उप जिला कलक्टर किशनगंज जिला बारां द्वारा वाद पत्र बउनवान जमील बनाम यकीउद्दीन वगैरहा अन्तर्गत धारा 53 रा.टी.एक्ट. प्रकरण संख्या 41/15 अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 29.01.2016 को एक तरफा निर्णय कर डिग्री कर दिया था। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय एवं डिग्री दिनांक 29.01.2016 की अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा–राज. में प्रस्तुत कर दी एवं अपील की सूचना तहसीलदार साहब को देने के बावजूद तहसीलदार साहब एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा आपस में मिली भगत कर गलत तरीके से बैक डेट में विवादित इन्तकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:33 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त किया जा चुका है। इस कारण विवादित इन्तकाल नम्बर 1124 दिनांक 09.05.2016 का अस्तित्व समाप्त हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.) के निर्णय दिनांक 02.08.2016 से न्यायालय उपजिला कलक्टर किशनगंज को रिमाण्ड कर दी गई। जिसमें न्यायालय में सुनवाई चल रही है। ऑर्डर शीट दिनांक 13.05.2019 को अपीलान्ट वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया। नकल दिलाई गई। वकील रेस्पोडेण्ट से जबाब प्रार्थना पत्र लिया जाकर उभयपक्ष बहस सुनी गई। दिनांक 02.08.2019 की आर्डर शीट से प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर आदेश रिर्जव रखा गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें। वकील रेस्पोडेण्ट ने फर्द दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिशल किया है।

हमने विद्वान उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि न्यायालय उपजिला कलक्टर किशनगंज जिला बारां के एक तरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2016 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.) द्वारा अपील बउनवान यकीउद्दीन बनाम जमील बगैरहा अपील संख्या 226/2016 निर्णय दिनांक 02.08.2016 द्वारा निरस्त किया गया है। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.) के निर्णय दिनांक 02.08.2016 से सही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कुण्डी का इंतकाल नं. 1124 दिनांक 09.05.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 1124 दिनांक 09.05.2016 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:33 IST
Reason: SelfAttested